



# Engineering College Ajmer (estd. 1997)

(An autonomous institute of Govt. of Rajasthan)

Tel No. 0145-2971024

www.ecajmer.ac.in



RIGHT TO  
INFORMATION

## Right To Information Act 2005

No. : ECA/RTI/2019/ 71

Date : 20/09/19

समस्त विभागाध्यक्ष/सेक्शन प्रभारी,  
राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय,  
अजमेर

विषय : सूचना अधिनियम 2005 के तहत महाविद्यालय में प्राप्त श्री आदित्य के RTI प्रार्थना पत्र के संबंध में।

सन्दर्भ : R.T.I पत्र दिनांक 07.09.2019 महाविद्यालय प्राप्ति क्रमांक दिनांक 315/09.09.2019

महोदय/महोदया,

श्री आदित्य द्वारा प्राप्त RTI प्रार्थना पत्र सूचना अधिनियम 2005 की धारा 5(4) के अन्तर्गत आपको प्रेषित किया जा रहा है। उक्त RTI प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार प्रतिउत्तर मय चाही गई समस्त सत्यापित सूचनाओं सहित पत्र के माध्यम से अधिकतम 07 दिवस में RTI Cell में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। ताकि प्रार्थी को चाही गई सूचना RTI नियमानुसार तय समयसीमा में उपलब्ध कराई जा सके।

लोक सूचना अधिकारी

संलग्न :- श्री आदित्य का RTI प्रार्थना पत्र

श्रीमान् प्राचार्य /  
लोक सूचना अधिकारी,  
अभियांत्रिकी महाविद्यालय,  
अजमेर।

G.E.P.A./RPT/2019/315  
09/09/19

Date - 29/9/19.

01

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न सूचना अविलम्ब उपलब्ध करवाने बाबत:-

1. महाविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों के निवास स्थानों का पता नियुक्ति से आज दिनांक तक मय निवास की अवधि जहाँ उन्होंने महाविद्यालय में कार्य करने के दौरान निवास किया हो की सूचना उपलब्ध करवावें।
2. महाविद्यालय के समस्त कार्मिकों (शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) द्वारा नियुक्ति दिनांक से आज दिनांक तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष का मकान किराया भत्ता निर्धारण हेतु संबंधित Annexure-A, Annexure-B की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवावें।
3. महाविद्यालय के लेखाशाखा में कार्यरत उप कुलसचिव एवं समस्त कार्मिकों द्वारा पिछले 10 वर्षों में निजी, किराये एवं महाविद्यालय वाहन से की गई यात्राओं के पारित बिल एवं पत्रावली की प्रति मय आदेशों सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें।
4. वर्तमान में महाविद्यालय में कार्यरत उप कुलसचिव (विज्ञ) द्वारा वी.जे.टी.आई. मुम्बई हेतु की गई हवाई यात्रा से संबंधित पत्रावली मय आदेश एवं बिल की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें।
5. महाविद्यालय में कार्यरत अशैक्षणिक कार्मिकों द्वारा हवाई यात्रा करने के TEQIP के नियम की सत्यापित प्रति उपलब्ध करावें।

उक्त हेतु राशि रु. 10/- का पोस्टल ऑर्डर सं. 35F-234979 संलग्न है।

Aditya  
(आदित्य) 29/9/19.

214, हरिभाऊ उपाध्याय नगर विस्तार,  
ब्लॉक बी, पुष्कर रोड़, अजमेर -  
305004

G.E.P.A. AJMER  
Office of Principal  
In No. 06  
Date 29/9/19

Sig.

Old process  
29/9/19

P.T.O.  
29/9/19

G.E.P.A. AJMER  
Office of Principal  
In No. 2394  
Date 29/9/19